न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 78 / 2020 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 श्री रघुनाथ पिता हेमराज बैरवा निवासी खैराबाद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।

.... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

..... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा 251 (ए)

उपस्थित :::– **प्रार्थीगण मय अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द्र आचार्य**

पेरोकार सरकार....................विपक्षी क्रम 1

–:: निर्णय ::–

दिनांक 12.01.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रापत्र काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधित नियम 251(क) दिनांक 22.03.2020 को प्रा0पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया की प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि वाके ग्राम नाथडियास पटवार हल्का बिलियाकलां तह हमीरगढ में आराजी खसरा संख्या 859 / 554 रकबा 0.6070है0 व आराजी खसरा संख्या 901 / 554 रकबा 0.1265 है. किता 02 रकबा 0.7335 भूमि स्थित है जो प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। वर्णित आराजी भू–भाग में आवागमन का एक मात्र रास्ता नाथडियास राजोला आम रोड से होकर बिलानाम आराजी खसरा संख्या 554 मी की मेड से होकर प्रार्थी तथाकथिक आराजी भू–भाग आवागमन करता है। पुष्टि में एक नजरी नक्शा भी तैयार कर आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है। जो रास्ता चाहा गया है 20 फीट चौडा होकर गाडी गडार बनी हुई है जिसे प्रार्थी अपनी बेलगाडी संज आदि लाते ले जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी को अपने खाते की कृषि भूमि में आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता मोजुद नही है। लेकिन अन्य लोगो की नियत में फितुर होने से उक्त बिलानाम भूमि जबरन कब्जा कर रास्ते को बन्द करने पर आमादा है। प्रार्थी ने दिनांक 05.09.2020 को विपक्षी को रास्ता दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ इन्कार हो गये व रास्ते को बन्द करने की धमकी दी उक्त रास्ता राजस्व रेकॉर्ड(नक्शे) में दर्ज नही है। अतः रास्ते के बाबत मौके की रिपोर्ट तलब कराई जाकर नियमानुसार राजस्व रेकॉर्ड नक्शे रास्ता दर्ज कराया जावे।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार करवाया जाकर ग्राम नाथडियास तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि खसरा संख्या 859 / 554,901 / 554 किता 02 रकबा 0.7333 है0 पर आने जाने हेतु एक मात्र रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.02.25 11:26:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

जो कि नाथडियास राजोला आम सड़क से होकर बीन नाम आराजी 554 मि कि मेड से होकर वर्णित आराजी पर आता जाता है। जिसे नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया जो 20 फिट चोडा रास्ता नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे तथा कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड एंव नक्शे में दर्ज करना फरमावे। रास्ते के उपयोग में आने वाली भुमि के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे कि राशि का भुगतान करने के लिए में भुगतान करने के लिए सहमत हूँ।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया प्रस्तुत प्रा0पत्र न्यायालय में दिनांक 24.09.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वजय जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया विपक्षी की तरफ से प्रार्थी के प्रा0पत्र के खनन मे किसी प्रकार से जवाब अथवा प्रति शपथ–पत्र प्रस्तुत नही हुआ। तत्पश्चात स्थिति को स्पष्ट कराने के लिए अधिनस्थ तहसीलदार हमीरगढ को प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि में आवागमन के लिए रास्ते के बारे में स्थल निरीक्षण करा मोके की रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। अधिनस्थ तहसीलदार हमीरगढ ने न्यायालय के आदेशानुसार अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2021/32 दिनांक 11.01.2021 से हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट एवं मोका पर्चा तथा राजस्व नक्शे की प्रति व नजरी नक्शे की प्रति तैयार कर उसमें प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि में खसरा नम्बर 554 में प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से रोशन करते हुये अपना प्रतिवेदन भिजवाया तहसीलदार की ओर से मोका रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थी अधिवक्ता की दिनांक 12.01.2021 को बहस सूनी गई प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 258 में अंकित आराजी खसरा संख्या 859/554 एवं 901/554 किता 02 रकबा 0.7323है. भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी हक अधिकार से अभिलेखित है। उक्त खाते की कृषि भूमि के पूर्व दिशा में नाथडियास राजोला रोड स्थित है। तथा इस रोड व प्रार्थी के खाते की आराजी के मध्य स्थित आराजी खसरा संख्या 554 जो सिवायचक बिलानाम सरकार दर्ज है। उक्त आराजी भू–भाग में प्रार्थी को आवागमन के लिए रास्ते हेतु भूमि देने में तहसीलदार हमीरगढ ने कोई आपत्ति नही होना अपने पत्र में उल्लेखित किया है। राजकीय बिलानाम भूमि में भी राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में एक परिपत्र जारी कर यह आदेश पारित किया की किसी भी खातेदार को अपने खाते की कृषि भूमि में आवागमन हेतु राजकीय बिलानाम भूमि में से रास्ते हेतु भूमि दी जा सकती है। तथा रास्ते के उपयोग के लिए दी जाने वाले भूमि का प्रतिकर स्वरूप राशि का भुगतान सम्बन्धित खातेदार को डी.एल[illegible] राशि का भुगतान करना होगा। चुकी प्रार्थी रास्ते के उपयोग में आने [illegible] के लिए प्रतिकर स्वरूप भुगतान करने में सहमत है ऐसी स्थिति [illegible] योग्य ठहराया जाता है। अतएव

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.02.25 11:26:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रा0पत्र काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधित नियम 251(ए) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपने खाते की कृषि भूमि ग्राम नाथडियास तह हमीरगढ में स्थित खसरा संख्या 859/554 रकबा 0.6070 है0 तथा आराजी खसरा संख्या 901/554 रकबा 0.1265 है. किता 02 रकबा 0.7335है. में आवागमन हेतु नाथडियास से राजोला रोड के पश्चिम दिशा में प्रार्थी को अपने खाते की कृषि भूमि में आवागमन हेतु 20 फीट चोडा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ते की भूमि का कुल क्षेत्र तहसीलदार हमीरगढ की रिपोर्ट के अनुसार 0.0360है. है। प्रार्थी उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के लिए डी.एल.सी दर की दुगुनी राशि राजकोष में तहसीलदार हमीरगढ के माध्यम से जमा करावें राशि जमा होने पर तहसीलदार हमीरगढ उक्त रास्ते को राजस्व अधिकार अभिलेख जमाबंदी व राजस्व नक्शे में इसका लाल स्याही से तरमीम करने की सुनिश्चिता करें। साथ बिलानाम आराजी खसरा नम्बर 544 के मूल रकबे से रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा 0.360 है. कम किया जावे। खर्चा फरकीन अपना-अपना वहन करें। आदेश की की प्रति पालना हेतु तहसीलदार हमीरगढ को प्रेषित की जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैशल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 12.01.2021 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.02.25 11:26:34 IST
Reason: SelfAttested